AMAR UJALA

यूनिक आइडेंटीफिकेशन कार्ड बनना शहर में शुरू

सबकी पहचान 'यूआईडी'

सिटी रिपोर्टर

बरेली। हर नागरिक को विशिष्ट पहचान देने के उद्देश्य से शुरू की गई यूनिक आइडेंटिटिफिकेशन कार्ड बनाने का काम शहर में शुरू हो चुका है। शहर में इसे बनाने का जिम्मा अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड संस्था को मिला है। मंगलवार को जब इसकी शुरुआत हुई तो तमाम लोगों की यूआईडी बनाई गई। इन लोगों को उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बाद में दिया जाएगा। अलंकित के ब्रांच मैनेजर अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभी अयूब खां चौराहे के पास एक ही मशीन से यूआईडी बनाई जा रही है। आगे 50 मशीनें लगाकर रोजाना पांच हजार यूआईडी बनाने की योजना है।

क्या है यूआईडी : यूआईडी सोलह अंकों वाला सर्वमान्य नागरिक पहचान पत्र है। यूआईडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि, स्थान, स्थाई पता, उम्र, पेशा, आय आदि की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा इसके बन जाने के बाद नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे तमाम पहचान पत्रों की बजाए सिर्फ एक पहचान पत्र रखने

यूआईडी के लिए लगने लगी है कतार।

की सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि यूआईडी चुनाव प्रक्रिया को सुचारु तरीके से निपटाने, मनरेगा जैसी बड़ी परियोजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, देश में गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने आदि में मदद मिलेगी। यूआईडी बनाने के लिए 'आधार' कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष 29 सितंबर को महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। पहली यूआईडी धारक टेंभली गांव की राजना सोनावेन बनी। बता दें कि यह प्रणाली पूरी तरह बायोमीट्रिक होगी।

यूआईडी बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

फोटो पहचान पत्र बतौर आवेदक को पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से जारी आई कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम, बैंक क्रेडिट कार्ड, पेंशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड, सीजीएचएस या ईसीएचएस कार्ड, डाकखाने द्वारा जारी आईडी, ग्रुप ए गजटेड आफिसर के लैटर हैड पर जारी फोटो पहचान पत्र में से कोई एक हो सकता है। पते की पहचान के लिए भी ये दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए जाति एवं निवास प्रमाणपत्र, सांसद, विधायक, आयकर विभाग से जारी सूची, वाहन पंजीकरण, पंजीकृत विक्रय, लीज, किराया इकरारनामा के अलावा टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद में से एक देना पड़ेगा।